

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सन्

कैनिकल कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2002 (आषाढ 26, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रबन्धालय

प्रथमतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रबन्ध पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पठल पर चाल बाला

(1) श्री हरवेश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरजून करावान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ पठल पर रखेंगे :-

- (क) एफ.22-214-2001-आठ, दिनांक 3 नवम्बर, 2001
- (ख) एफ-22-214-2001-आठ, दिनांक 22 फरवरी, 2002 तथा
- (ग) एफ-4-21-98-आठ, दिनांक 22 मार्च, 2002

(2) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 21 वां वार्षिक ब्रतीयैवन वर्ष 1998-99 पठल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ब्यान आकर्षण

(1) सर्व श्री भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकौत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रवेश के कृषकों को अमानक स्तर का सोयाबीन बीज वितरण से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ब्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, छिन्दवाडा शहर स्थित पुलिस शख्तागार में विस्फोट होने से उत्पन्न रिथांड की ओर गृह मंत्री का ब्यान आकर्षित करेंगे।

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महात्म के विचार पर चार्चा

(1) प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्गमन,

(2) प्रदेश में अधोवित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अजय सिंहोई, नरेन्द्र सिंह लोमर, नरेन्द्र विरथरे, नरोत्तम मिश्र, लक्ष्मीकौत शर्मा, कैलाश विजयकर्णीय, लाल सिंह, लक्ष्मणसिंह गौड़, हरीशकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्यगण चर्चा उठायेंगे।

निर्धारित
समय
1 घन्टा
30 मि.

भौपाल ।
दिनांक : 18 जुलाई, 2002

डॉ. ए. के. पवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।